कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)प्रारं0 शिक्षा, जैसलमेर

क्रमांकः— जिशिअ/मु—प्राशि/डीपीसी/संस्था—2/2026/100 दिनांक :—20.04.2026

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (समस्त)/
पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अति—आवश्यक
ग्राम पंचायत समस्त जिला— जैसलमेर

विषयः— तृवेश्रृं अध्यापकों की सत्र 01.04.1998 से 31.03.2025 तक की मिश्रित अस्थायी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करने के संबंध में।

प्रसंगः— संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपर के पत्रांक—520 दिनांक—18.11.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख हैं कि आप द्वारा भेजी गई तृतीय वेतन श्रृखंला अध्यापकों की सत्र **01.04.1998 से 31.03.2025** तक की एक्सल सूची के तथा कार्मिक के शालादर्पण प्रपत्र—10 के आवश्यक आधार पर अस्थायी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन संलग्न सूची अनुसार किया जा रहा हैं। अस्थायी सूची का व्यापक प्रचार प्रसार करें एवं सूची में अंकित विवरण में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दिनांक **28.04.2026** तक आपत्तियां इस कार्यालय को लिखित रूप में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें। **28.04.2026** के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा एवं न ही कोई संशोधन किया जायेगा, उक्त सूची पूर्ण रूप से अस्थाई है जिसमें प्राप्त आपतियों के निस्तारण उपरांत एवं कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत आवश्यक संशोधन/परिवर्तन कर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जावेगी। प्रकाशन के बाद किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक,पीईईओ एवं सीबीईओ की रहेगी।

—अस्थाई वरिष्ठता सूची में ध्यान देने योग्य बिन्दु —

1. वरिष्ठता सूची में संबंधित कार्मिक की शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता,**अति. विषय की स्थिति में** उर्तीण मय वर्ष, दिनांक, जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि,वर्ग,लिंग, **चयन क्रमांक**,**चयन तिथि**, **चयन प्रतिशत**,**विश्वविद्यालय नाम** का सत्यापन आप अपने स्तर पर कर लें इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन की स्थिति में संबंधित कार्मिक का मूल रेकर्ड की प्रति संलग्न कर इस कार्यालय को भिजवावें। किसी कार्मिक का नाम उक्त वरिष्ठता सूची में नही होने पर नामांकन हेतु निम्नांकित दस्तावेज संबंधित पीईईओं के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।(**प्रथम नियुक्ति आदेश, स्थाईकरण,नोशनल आदेश, समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की प्रति, रिवाईज रिजल्ट की प्रति एवं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।**)
2. **किसी कार्मिक का स्थायीकरण आदेश जारी नही हुआ हैं एवं वरिष्ठता सूची में कार्मिक के नाम के सामने स्थायीकरण कालम में यदि दिनांक का इन्द्राज हो तो उसकी सूचना आवश्यक रूप से इस कार्यालय को लिखित में भिजवाये।**
3. **कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो, निलंबित हो,विभागीय जांच प्रस्तावित/विचाराधीन हो तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित पीईईओं/सीबीईओं की रहेगी।**
4. संलग्न सूची में **केजीवीबी/महात्मा गांधी विद्यालयों/व अन्य शिक्षा विभाग** के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त कार्मिकों का नाम सूची में शामिल होने से रह गया हो तो उनके नाम सूची में आवश्यक रूप से लिखे जाने है। अतः इस प्रकार के कार्मिकों की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से **निर्धारित प्रपत्र में** भिजवाये।
5. संलग्न सूची में यदि कोई कार्मिक अन्तर जिला स्थानान्तरण से इस जिले में आया है और इस सूची में कार्मिक के नाम के सामने अंतरजिला स्थानान्तरण कॉलम खाली है तो उसकी सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से लिखित में सूचित करे। एवं **अंतरजिला स्थानान्तरण कार्मिकों का प्रपत्र—06 अत्यावश्यक है अतः प्रपत्र—06 इस कार्यालय में अवश्य ही जमा करावे।**
6. इस संलग्न सूची में यदि किसी कार्मिक ने नियुक्ति उपरान्त बीएड की डिग्री प्राप्त की है तो उसका जिशिअ जैसलमेर का अनुमति पत्र पुनः संबंधित पीईईओ/सीबीईओं आवश्यक रूप से देख लेवे। बिना अनुमति बीएड की डिग्री प्राप्त की कार्मिक की सूचना इस कार्यालय को भिजवावें।
7. समस्त पीईईओ एवं यूसीईईओ उक्त सूची का भॅलीभाती अवलोकन करें। ऐसा कोई कार्मिक जो अन्य जिले से आपके क्षेत्राधीन मॉडल विद्यालया/एकलव्य विद्यालय/कस्तूरबा/महात्मा गांधी

Signature valid
Digitally signed by Deepa Ram Suthar
Designation : District Education Officer
Date: 2026.04.20 17:51:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21704344

eSign 1.0

विद्यालयों कार्यरत है एवं कार्मिक का नाम उक्त सूची में सम्मिलित है तो तत्काल आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित सीबीईओं एव इस कार्यालय को अवगत कराये ताकि कार्मिक का नाम इस सूची से विलोपित कर सके।

8. कार्मिकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची में योग्यता का अंकन होने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा उनका सेवा रिकॉर्ड/मूल योग्यता/अंकतालिका/प्रमाण पत्रों/से मिलान किया जावे। भिन्नता की स्थिति में इस कार्यालय को अवगत करावें।
9. **इस सूची में अंकित दिव्यांगता के प्रकार का मिलान संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ संबंधित कार्मिक के प्रमाण पत्र से अवश्य करें। भिन्नता की स्थिति में इस कार्यालय को अवगत करावें।**
10. **इस सूची में अंकित नोशनल परिलाभ का मिलान संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ संबंधित कार्मिक के आवश्यक दस्तावेजों से कर लेवे। भिन्नता की स्थिति में इस कार्यालय को अवगत करावें।**
11. **उक्त सूची में किसी कार्मिक के सामने अंकित कॉलमों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो इस कार्यालय को लिखित में भिजवाये।**
12. **समस्त पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने परिक्षेत्राधिकार में इस सूची में अंकित समस्त कार्मिकों तक इस सूची का प्रसार प्रचार करें। यदि कोई कार्मिक वर्तमान में आपके परिक्षेत्र या ब्लॉक में नहीं से तो वर्तमान संबंधित पीईईओ से उक्त कॉलमों का सत्यापन करावे।**

समस्त पीईईओ एव सीबीईओ उक्त बिन्दुओ का विशेष रूप से ध्यान रखे। निर्धारित समय सीमा में आपती इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपतियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। संबंधित अध्यापक द्वारा वरिष्ठता सूची में नामांकन के अभाव/प्रविष्टियों में त्रुटि के संबंध में इस कार्यालय में यथासमय अवगत नहीं करवाये जाने की स्थिति में वरिष्ठता/पदोन्नति संबंधी आगामी सेवा संबंधी परिलाभों से वंचित रहने की स्थिति में उक्त संबंधी उतरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/व्यक्तिशः स्वयं कार्मिक का ही होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्न– वरिष्ठता सूची(01.04.1998 से 31.03.2025)

(दीनाराम सुथार)
जि.शि.अ. (मु.) प्रारंभिक जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Deepa Ram Suthar
Designation : District Education Officer
Date: 2026.04.20 17:51:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21704344

eSign 1.0